



वर्तमान परिदृश्य में डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रजातान्त्रिक विचारों की भूमिका

डॉ० अनिल कुमार सैनी

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)

मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय, मींग,

नारायणबगड़ (चमोली), उत्तराखण्ड, भारत

ARTICLE DETAILS

Research Paper

मूल शब्द :

प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, भारतीय
राजव्यवस्था

शोध सारांश

डॉ० अम्बेडकर यह मानते थे कि व्यक्ति स्वयं में एक साध्य है, वे लोकतंत्र को और भी ज्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति के कुछ ऐसे भी अधिकार हैं, जिन्हें उससे अलग नहीं किया जा सकता है। बस इन्हीं कारणों से वह चाहते थे कि इन अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की जाये तथा राज्य निष्ठापूर्वक इन अधिकारों की रक्षा करे। डॉ० अम्बेडकर उन लोगों के खिलाफ रहे जो सामाजिक सेवा की भावनाओं की आड़ में अपनी कमियों को छिपाते रहें। वे हमेशा गरीबों और साधनहीनों की सेवा को प्राथमिकता देते थे। डॉ० अम्बेडकर चाहते थे कि सामान्य लोगों को लोकतन्त्र की रक्षा के लिये शिक्षा दी जानी चाहिए, यह पूर्णतया सही है; क्योंकि अशिक्षा और अज्ञानता ही लोकतन्त्र की सबसे बड़ी कमी है। सभी लोग योग्य होने चाहिये ताकि वे राजनीतिक दलों और उनके उद्देश्य को समझकर अपने राजनीतिक अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग करें। ये सब होने पर ही, भारत में लोकतंत्र दृढ़ हो जायेगा; नहीं तो अशिक्षित लोग राजनीतिक नारों और लालच के शिकार निरन्तर बनते ही रहेंगे और समझदार लोग उनसे पूरा फायदा उठाते रहेंगे। डॉ० अम्बेडकर के राष्ट्रवादी चिन्तन में राष्ट्र को मजबूत एवं समृद्ध करने के लिए उनके द्वारा दिये गये लोकतन्त्र पर विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

प्रस्तावना

डॉ० भीमराव अम्बेडकर को लोकतंत्र में अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने हर प्रकार की राजनीतिक तानाशाही का विरोध किया। डॉ० अम्बेडकर के विचार में तानाशाही और फासीवाद समाज और व्यक्ति दोनों के लिए धर्मप्रद नहीं हैं। वे अब्राहिम लिंकन के इस सिद्धान्त (लोगों का शासन, लोगों के द्वारा एवं लोगों के लिये) को मानते थे। वे राजनीतिक क्रान्ति में तो विश्वास नहीं रखते थे; परन्तु राजनीतिक सुधारों में उनकी आस्था थी। डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि राजनीतिक क्रान्ति एक भयानक कदम है। वे उदाहरण देकर स्पष्ट करते थे कि, यदि एक रूपये के सिक्के को ऊपर उछालकर नीचे गिरा दें तो इस बात की कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती है कि सिक्के की मूर्ति वाला हिस्सा ही ऊपर आयेगा; बल्कि उसका उल्टा हिस्सा भी ऊपर आ सकता है। इसी तरह से राजनीतिक क्रान्ति के बाद राजनीतिक शासन किस दल के हाथ में आयेगा, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि लोकमत से चुनी गई सरकार हितकर है, भले ही उसकी गति बहुत ज्यादा तेज न हो; परन्तु वह लोकहित के लिए एक आदर्श सरकार होगी।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य को प्रारम्भ करने से पहले कुछ शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध-पत्र डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रजातन्त्र पर दिये गये विचारों पर आधारित है; इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रजातन्त्र पर दिये गये विचारों का अध्ययन करना।
2. डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रजातन्त्र पर दिये गये विचारों के माध्यम से वर्तमान प्रजातन्त्र की समस्याओं का समाधान खोजना।
3. डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रजातन्त्र पर दिये गये विचारों की भूमिका का पता लगाना।

अध्ययन प्रविधि

इस शोध पत्र में मुख्य रूप से द्वितीयक संमकों का उपयोग किया गया है; जो कि विभिन्न शोध पत्रों-पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार-पत्रों आदि से संग्रहित किये गये हैं।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के प्रजातन्त्र पर विचार

डॉ० अम्बेडकर ने प्रजातन्त्र के महत्व पर जोर दिया है; ताकि न्याय, शोषण रहित एवं अबाधित अवसर आदि के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। उनका विचार था कि, "कोई एक व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि वह प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रखता है या वही कानून निर्मित करके सरकार को चला सकता है।"¹ उनके विचार में लोकतांत्रिक पद्धति नैतिक क्षेत्र में भी अन्तिम सत्यों का वचन नहीं दे सकती। डॉ० अम्बेडकर के विचार में, "कोई व्यक्ति नियमबद्धता के नाम पर एक विचार से बंधा नहीं रह सकता। लोकतन्त्र में नियमबद्धता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण 'सामाजिक उत्तरदायित्व' होता है क्योंकि विचारों में कभी भी अंतिम सत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।"²

डॉ० अम्बेडकर की लोकतांत्रिक पद्धति राजनीति में बुद्धिवाद और व्यवहारवाद पर आधारित है।

डॉ० अम्बेडकर अपने लोकतांत्रिक विचारों का आधार मानव-जीवन, स्वतन्त्रता और आनन्द के अनुसरण को मानते थे, इसलिये राजनीति में उनका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तानाशाही और अराजकतावाद का पूर्ण विरोधी था। राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की आत्मा है। उनका मानना था कि स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को अलग नहीं किया जा सकता है।

प्रजातंत्र की सफलता के लिये कुछ शर्तें आवश्यक हैं— जनशिक्षा, प्रबुद्ध लोकतंत्र, राजनीतिक दल और शासन में नागरिकों का सक्रिय योग, सहिष्णुता, एकता, आर्थिक सुरक्षा आदि। डॉ० अम्बेडकर पूर्ण प्रजातंत्रवादी थे और उसे जीवन के सम्पूर्ण दर्शन के रूप में स्वीकार करते थे। उनकी प्रजातंत्र के सैद्धान्तिक प्रश्नों में नहीं, बल्कि प्रजातंत्र की व्यावहारिक समस्याओं में रुचि थी। वे प्रजातंत्र को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होते देखना चाहते थे तथा वे ऐसे कार्यों के खिलाफ थे; जिनके द्वारा स्वतन्त्रता, समता और बंधुत्व को क्षति पहुँचे। डॉ० अम्बेडकर प्रजातंत्र की सफलता के लिये समाज के विविध वर्गों के मध्य सहयोग को आवश्यक मानते थे। उनके विचार में भारत जैसे देश में निर्धनता, अशिक्षा तथा जातिगत भेद प्रजातंत्र के लिये बहुत बड़े खतरे हैं।

अम्बेडकर ने कहा है कि, "प्रजातन्त्र की सफलता के लिये समता को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिये।"³ उनके विचार में राजनीति में प्रजातन्त्र को बिना अपनाए समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती है।

¹ भगवानदास (जनवरी, 2011) : Thus Spoke Ambedkar : A Strake in the Nation, Navayana Publishers, Vol. 1, पृष्ठ 52

² अम्बेडकर, बी०आर० (1955) : थॉट ऑन लिग्विस्टिक स्टेट्स, थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, पृष्ठ 1

³ अम्बेडकर, बी०आर० (1947) : स्टेट्स एण्ड माइनारिटिज, थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, पृष्ठ 32

जनता के प्रति न टूटने वाले विश्वास और प्रेम के बिना, मनुष्य सेवा सम्भव नहीं हो सकती। प्रेम और सहयोग के बिना, न तो लोकतंत्र और न ही राष्ट्रवाद दृढ़ हो सकता है। लोगों के आपसी मतभेद ही विनाश का प्रमुख कारण है। गरीबों तथा शोषितों के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर डॉ० अम्बेडकर लोकतंत्र की ओर आकृष्ट हुये। व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से उन्होंने लोकतंत्र को भारत की परिस्थितियों के लिये आवश्यक बताया। स्वतन्त्रता संग्राम के समय, उनका प्रमुख लक्ष्य शोषितों के लिये न्याय और मनुष्य अधिकार की प्राप्ति करना था। लोकतंत्र का सीधा अर्थ है— कोई दासता न हो, कोई जातिवाद अथवा दमन न हो और किसी भी तरह का अनावश्यक भेदभाव न हो।

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, "लोकतंत्र संगठित रूप से रहने का एक ढंग है, लोकतंत्र की जड़ें, जो लोग संगठित रूप से समाज का निर्माण करते हैं, उनके ही सामाजिक संबंधों में मिलती है।"⁴

डॉ० अम्बेडकर ने लिखा कि, "एक लोकतांत्रिक समाज को यह चाहिये कि वह प्रत्येक नागरिक को अवकाश तथा संस्कृति का जीवन प्रदान करें।"⁵ भारत का परम्परावादी सामाजिक ढाँचा लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा शत्रु है; इससे सभी लोगों में ऊँच—नीच, गरीब—अमीर, नौकर—मालिक की भावनाओं में इजाफा देखने को मिलता है। प्रायः इन सभी भेदभावों को सामाजिक संगठन का आवश्यक अंग माना जाता है; व्यावहारिक दृष्टि से, "ऐसी समाज व्यवस्था में, एक ओर दमन, अभिमान, अन्याय, उद्दण्डता, स्वार्थ आदि पाये जाते हैं और दूसरी तरफ असुरक्षा, निर्धारित, पतन, स्वतन्त्रता का भय, आत्म—सम्मान की हानि, आत्म—विश्वास का लोप आदि होते हैं।"⁶ डॉ० अम्बेडकर का सुझाव था कि लोकतांत्रिक समाज में इन सभी चीजों को किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये।

डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि आधुनिक प्रजातंत्र का उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिये। यह तभी संभव है जब प्रजातंत्र सही तरह से काम करें और लोगों के कार्य करने की शैली में सुधार लाया जाये। प्रजातंत्र में शासन किन्हीं गिने—चुने लोगों के हाथों में निरन्तर नहीं होना चाहिये। जिन लोगों के पास अधिकार अथवा शासन की बागडोर है, उन्हें पाँच साल बाद जनता के सामने जाकर यह पूछना चाहिये कि वे देश की शासन व्यवस्था चलाने योग्य है या नहीं? इसका फैसला उन्हें जनता के ही ऊपर छोड़ देना चाहिए।

निष्कर्ष

⁴ कीर, धनजय (नवम्बर, 2019) : डॉ० अम्बेडकर : लाईफ एण्ड मिशन, पापुलर प्रकाशन, बम्बई, पृष्ठ 487

⁵ अम्बेडकर, बी०आर० (1946) : व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू दै अन्टिबिलिस, थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, पृष्ठ 295

⁶ 'उपरोक्त', पृष्ठ 296

डॉ० अम्बेडकर के विचार में किसी भी देश में संसदीय प्रजातंत्रीय प्रणाली के असफल होने के कई कारण हैं; जिनमें से एक है संसदीय प्रजातंत्र में आन्दोलनों की गति धीमी होती है। निरंकुश शासन वाले देशों में प्रजातंत्र की असफलता का प्रमुख कारण भी यही है। डॉ० अम्बेडकर तानाशाही शासन के विरुद्ध थे; क्योंकि तानाशाही शासन में जनता की समस्याओं के समाधान के लिये शासक बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। प्रजातंत्र की सफलता जनता की संतुष्टि पर निर्भर करती है। जिस देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र नहीं होगा, उस देश में राजनीतिक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है।

अतः कहा जा सकता है कि डॉ० अम्बेडकर प्रजातंत्र को पसन्द करते थे; क्योंकि इस शासन व्यवस्था में विरोधी पार्टी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जबकि साम्यवादी राजनीतिक संगठन में विरोधी पार्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि प्रजातंत्र सही तरीके से काम करता है तो उसमें कानूनी प्रशासन में समानता होती है। लोकतंत्र का यह विचार मानवीय समानता पर जोर देता है, जिसके कि डॉ० अम्बेडकर प्रबल समर्थक थे। इस प्रकार बाबा साहेब के विचार में प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कि व्यवहार में लोग खुद अपना विकास कर सकते हैं। प्रजातंत्र में लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन साथ-साथ करते हैं।

उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि लोकतंत्र का उद्देश्य समाज के व्यावहारिक हित में निहित होना चाहिये। उससे सामान्य जनता को सम्पन्नता की प्राप्ति होनी चाहिये, न कि किसी धर्म अथवा जाति विशेष को। सभी लोगों को एक ही सूत्र में बाँधकर, जन-सामान्य की उन्नति करना लोकतंत्र का सच्चा काम है। माना कि लोगों में भिन्न-भिन्न योग्यताएँ होती हैं, उनके अलग-अलग हित होते हैं और उनके अधिकार एवं कर्तव्य भी भिन्न ही होते हैं; परन्तु लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान समझा जाना चाहिये।